

**न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)**

दिना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
6/20	136 L.R Act	—पान्चौडा	२६३।
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
लक्ष्मीबाई	बनाम	श्रीकिशन	

वकील :- नवनील कुमार      **आदेश पत्रक**      वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

9/20  
अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जर्ज सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 8/12/20 को पेश हो।

*(Signature)*

8/20  
आज पीदागीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 13/01/21 को पेश हो।

*(Signature)*  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

13/21  
आज पीदागीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 01/21/21 को पेश हो।

*(Signature)*  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

16/21  
आज पीदागीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 13/7/0.21 को पेश हो।

*(Signature)*  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

13 7/21

आज प्रशासन अधिकारी के अन्य कार्य में  
ब्यापक सोन के कारण पत्रावली पूर्णतः स्थिति में  
दिनांक 13/7/21 को पेश हो।

5/1/21  
न्यायालय एग्ज. अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

18 08/21

पत्रावली कोविड-19 के कारण पूर्ववत स्थिति में पेश  
हुई। नकील प्रार्थना उपस्थित। प्रतिवादी कुक। का बंड  
तामिल समान प्रारत। प्रतिवादी बी.के.ए. से श्री राजनिवेश  
के द्वारा का ब्यापक सोन पेश किया तथा उक्त कालिदास  
पत्रावली में पेश किया है। नास्ते श्री कुक वादी पत्रावली  
दिनांक 14/08/21 को पेश हो।

## प्रशासन गोंडों के संग अभियान-2021

18 10/21

पत्रावली आज प्रशासन गोंडों के संग अभियान 2021 शिबिर  
आ. फ. - चान्चौडा पर पेश हुई। प्रकरण के तहसील  
दार इवडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार इवडा  
ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लक्ष्मीबाई उर्फ पुनम  
श. मदनलाल जाति योगी (नका) नि. - चान्चौडा की  
जोख करने पर जोख बलों ने बताया कि लक्ष्मीबाई अमलीनाम  
नाम बोलवा नाम है ~~अमलीनाम~~ पुनम है। जैती इतकाल  
दर्ज कराते समय पुनम नाम दर्ज हो गया। मजले अमम में  
पालकारी करने पर प्रार्थना के दस्तावेजों में में लक्ष्मी  
बाई का नाम दर्ज है। तहसीलदार इवडा द्वारा पुनमबाई  
के स्थान पर लक्ष्मीबाई दर्ज करने की अनुरोध की है।

अतः तहसीलदार इवडा की अनुरोध के  
आधार पर प्रार्थना का नाम पुनम बाई के स्थान पर  
लक्ष्मी बाई करने के आदेश दिये जाते हैं तहसीलदार  
तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दराजद करे। आदेश  
प्रकार से जारी हो। पत्रावली फेशल शुमार होकर  
दारिले दफतर हो।

उपसखंड अधिकारी  
छबड़ा, जिला बारां (राजो)

# “प्रशासन गाँव के संग अभियान-2021”


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

दूकड़ा जिला - बारा

## -: आदेश :-

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती” प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ३०९ चान्चौड़ा व भू.अ.नि. चान्चौड़ा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बारा/नगयब तहसीलदार बारा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार ग्राम चान्चौड़ा तहसील बारा जिला बारा की जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 में खाता संख्या 209 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	चान्चौड़ा	209	पूनामबाई प्रो. मदनलाल	लक्ष्मीबाई उर्फ पूनामबाई प्रो. मदनलाल


  
(मनीषा तिकरी)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी

क्रमांक/रीडर/लोक अदालत/2021/केम्प-चान्चौड़ा/

दिनांक 15/01/21

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार ३०९ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री लक्ष्मीबाई प्रो. मदनलाल प्रो. चान्चौड़ा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी